

पुस्तिका पर इस संबंध में पंजीकरण प्राधिकरण ने उचित पृष्ठांकन लगाया हो, उस बीमाकृत वाहन के स्वयं क्षति प्रीमियम पर 50% छूट बीमाधारक को अनुमत हैं।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधीन।

आईएमटी.15. वेतनभोगी ड्राइवर या क्लिनर को छोड़कर बीमाधारक या अन्य नामित व्यक्ति के लिए वैयक्तिक दुर्घटना आवरण (निजी गाड़ियों पर लागू, जिनमें तिपहिया वाहन शामिल हैं जिन्हें निजी गाड़ी का दर्जा है और मोटराइज्ड दुपहिया वाहन साइड कार के साथ या उसके बिना (भाड़ा या पारिश्रमिक के लिए लागू नहीं))

एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर कंपनी बीमाधारक को बीमाकृत वाहन के सीधे संपर्क से या उसमें चढ़ते और उतरते हुए अथवा बीमाकृत वाहन में यात्रा करते हुए यदि शारीरिक चोट पहुंचे तो निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर मुआवजा देने हेतु वचनबद्ध है। तथा यह चोट हिंसक, दुर्घटनात्मक, बाह्य तथा दृश्य कारणों से लगनी चाहिए जिसमें कोई अन्य कारण शामिल न हो और ऐसी चोट लगने की घटना के बाद छह कैलेंडर माह के अंदर उसका निम्न परिणाम हो :-

चोट के विवरण	मुआवजे का मानदंड
i) मृत्यु	100%
ii) दो अंगों की या दोनों आँखों की दृष्टि की हानि या एक अंग और एक आँख की दृष्टि की हानि	100%
iii) एक अंग या एक आँख की दृष्टि की हानि	50%
iv) उपर्युक्त को छोड़कर चोट के कारण स्थायी पूर्ण विकलांगता	100%

बशर्त हमेशा कि :

- ऐसे व्यक्ति के मामले में किसी एक घटना से उत्पन्न हानि के लिए मुआवजा उपरोक्त (i) से (iv) में से किसी एक ही मद के अंतर्गत मिलेगा तथा बीमाकर्ता का सकल दायित्व किसी एक बीमा अवधि के दौरान कुल रु.* से अधिक नहीं होगा।
- निम्न स्थिति के कारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उत्पन्न या उसकी वजह से निर्मित होने के लक्षण हों तो मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा (क) जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना, आत्महत्या या आत्महत्या की, शारीरिक दोष या अवस्था की कोशिश करना या (ख) मदिरा या नशीली दवाइयों के सेवन के बाद उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित होना।
- यह मुआवजा केवल पॉलिसी में दिये गये नामित बीमाधारक की मंजूरी से ही दिया जायेगा और वह सीधे चोटग्रस्त व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधि(यों) को दिया जाएगा जिनसे प्राप्त रसीद ऐसे चोटग्रस्त व्यक्ति के मामले में पूर्ण भुगतान का प्रमाण होगी।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधीन।

* प्रति यात्री मूल बीमा राशि (सीएसआई) दर्शायी जाये।

आईएमटी.16. बीमाधारक और वेतनभोगी ड्राइवर या क्लिनर को छोड़कर नाम न दिये गये यात्रियों को वैयक्तिक दुर्घटना आवरण

(निजी गाड़ियों का दर्जा प्राप्त वाहन तथा मोटराइज्ड दुपहिया वाहन (भाड़ा या पारिश्रमिक को छोड़कर) जिसमें साइड कार लगी हो या न लगी हो)

एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर बीमाकर्ता इस बात के लिए वचनबद्ध है कि वह, बीमाधारक और/या वेतनभोगी ड्राइवर, अटेंडेंट या क्लिनर और/या ऐसा व्यक्ति जो कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के व्यापक अंतर्गत और उक्त अधिनियम में हुए परवर्ती संशोधनों के तहत बीमाधारक के पास, जिस समय चोट लगी उस समय नौकरी कर रहा हो इन सब को छोड़कर यदि किसी यात्री को, बीमाकृत मोटर वाहन में चढ़ते, उतरते समय या उसमें यात्रा करते समय परंतु उस समय वह ड्राइविंग न कर रहा हो तो, निम्न मानदंड के अनुसार चोट के लिए मुआवजा देगा बशर्त ऐसी चोट हिंसक, दुर्घटनात्मक, बाह्य तथा दृश्य कारणों से लगनी चाहिए जिसमें कोई अन्य कारण शामिल न हो और ऐसी चोट लगने की घटना के बाद तीन कैलेंडर माह के अंदर उसका निम्न परिणाम हो :-

चोट के विवरण	मुआवजे का मानदंड
i) मृत्यु	100%
ii) दो अंगों की या दोनों आँखों की दृष्टि की हानि या एक अंग और एक आँख की दृष्टि की हानि	100%
iii) एक अंग या एक आँख की दृष्टि की हानि	50%
iv) उपर्युक्त को छोड़कर चोट के कारण स्थायी पूर्ण विकलांगता	100%

बशर्त हमेशा कि :

- ऐसे व्यक्ति के मामले में किसी एक घटना से उत्पन्न हानि के लिए मुआवजा उपरोक्त (i) से (iv) में से किसी एक ही मद के अंतर्गत मिलेगा तथा बीमाकर्ता का सकल दायित्व किसी एक बीमा अवधि के दौरान कुल रु.* से अधिक नहीं होगा।
- निम्न स्थिति के कारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उत्पन्न या उसकी वजह से निर्मित होने के लक्षण हों तो मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा (क) जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना, आत्महत्या या आत्महत्या की, शारीरिक दोष या अवस्था की कोशिश करना या (ख) मदिरा या नशीली दवाइयों के सेवन के बाद उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित होना।
- यह मुआवजा केवल पॉलिसी में दिये गये नामित बीमाधारक की मंजूरी से ही दिया जायेगा और वह सीधे चोटग्रस्त व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधि(यों) को दिया जाएगा जिनसे प्राप्त रसीद ऐसे चोटग्रस्त व्यक्ति के मामले में पूर्ण भुगतान का प्रमाण होगी।
- ऐसी चोट की घटना के समय बीमाकृत वाहन में** से अधिक व्यक्ति / यात्री न हों।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधीन।

* प्रति यात्री मूल बीमा राशि (सीएसआई) दर्शायी जाये।

** बीमाकृत वाहन में पंजीकृत बैठने की क्षमता दर्शायी जाये।

of 50% on the Own Damage premium for the vehicle insured is hereby allowed to the insured.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

IMT.15. PERSONAL ACCIDENT COVER TO THE INSURED OR ANY NAME PERSON OTHER THAN PAID DRIVER OR CLEANER (Applicable to private cars including three wheelers rated as private cars and motorized two wheelers with or without side car (not for hire or reward))

In consideration of the payment of an additional premium it is hereby agreed and understood that the Company undertakes to pay compensation on the scale provided below for bodily injury as hereinafter defined sustained by the insured person in direct connection with the vehicle insured or whilst mounting and dismounting from or traveling in vehicle insured and caused by violent accidental external and visible means which independently of any other cause shall within six calendar months of the occurrence of such injury result in :-

Details of Injury	Scale of Compensation
i) Death	100%
ii) Loss of two limbs or sight of two eyes or one limb and sight of one eye	100%
iii) Loss of one limb or sight of one eye	50%
iv) Permanent Total Disablement from injuries other than named above	100%

Provided always that :

- compensation shall be payable under only one of the items (i) to (iv) above in respect of any such person arising out of any one occurrence and total liability of the insurer shall not in the aggregate exceed the sum of Rs.* during any one period of insurance in respect of any such person.
- no compensation shall be payable in respect of death or injury directly or indirectly wholly or in part arising or resulting from or traceable to (a) intentional self injury suicide or attempted suicide physical defect or infirmity or (b) an accident happening whilst such person is under the influence of intoxicating liquor or drugs.
- such compensation shall be payable only with the approval of the insured name in the policy and directly to the injured person or his/her legal representative(s) whose receipt shall be a full discharge in respect of the injury of such person.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

* The Capital Sum Insured (CSI) per passenger is to be inserted.

IMT.16. PERSONAL ACCIDENT TO UNNAMED PASSENGERS OTHER THAN INSURED AND THE PAID DRIVER AND CLEANER

(For vehicles rated as Private cars and Motorized two wheelers (not for hire or reward) with or without side car)

In consideration of the payment of an additional premium it is hereby understood and agreed that the insurer undertakes to pay compensation on the scale provided below for bodily injuries hereinafter defined sustained by any passenger other than the insured and/ or the paid driver attendant or cleaner and/or a person in the employ of the insured coming within the scope of the Workman's Compensation Act, 1923 and subsequent amendments of the said Act and engaged in and upon the service of the insured at the time such injury is sustained whilst mounting into, dismounting from or travelling in the insured motor car and caused by violent, accidental external and visible means which independently of any other cause shall within three calendar months of the occurrence of such injury result in :-

Details of Injury	Scale of Compensation
i) Death	100%
ii) Loss of two limbs or sight of two eyes or one limb and sight of one eye	100%
iii) Loss of one limb or sight of one eye	50%
iv) Permanent Total Disablement from injuries other than named above	100%

Provided always that :

- compensation shall be payable under only one of the items (i) to (iv) above in respect of any such person arising out of any one occurrence and total liability of the insurer shall not in the aggregate exceed the sum of Rs.* during any one period of insurance in respect of any such person.
- no compensation shall be payable in respect of death or injury directly or indirectly wholly or in part arising or resulting from or traceable to (a) intentional self injury suicide or attempted suicide physical defect or infirmity or (b) an accident happening whilst such person is under the influence of intoxicating liquor or drugs.
- such compensation shall be payable only with the approval of the insured name in the policy and directly to the injured person or his/her legal representative(s) whose receipt shall be a full discharge in respect of the injury of such person.
- not more than** person/passengers are in the vehicle insured at the time of occurrence of such injury.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

* The Capital Sum Insured (CSI) per passenger is to be inserted.

**The registered sitting capacity of the vehicle insured is to be inserted.

आईएमटी.18. नाम न दिये गये किरायेदार और नाम दिये गये पिलियन यात्रियों को वैयक्तिक दुर्घटना आवरण (साइड कार सहित या बिना के मोटराइज्ड दुपहिया वाहनों के लिए लागू)

एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर बीमाकर्ता इस बात के लिए वचनबद्ध है कि वह, किसी नाम न दिये गये भाड़े पर यात्रा करने वाले ड्राइवर, किसी नाम दिये गये पिलियन / साइड कार में बैठे यात्री को, बीमाकृत वाहन में/पर चढ़ते और/या वाहन से उतरते हुए या वाहन में/पर यात्रा करते हुए हिसक, दुर्घटनात्मक और बाह्य कारणों से, जिसमें कोई अन्य कारण शामिल न हो, शारीरिक चोट लगने पर निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार मुआवजा देगा बशर्ते ऐसी चोट लगने की घटना से तीन कैलेंडर माह के अंदर निम्न परिणाम हो :-

चोट के विवरण	मुआवजे का मानदंड
i) मृत्यु	100%
ii) दो अंगों की या दोनों आँखों की दृष्टि की हानि या एक अंग और एक आँख की दृष्टि की हानि	100%
iii) एक अंग या एक आँख की दृष्टि की हानि	50%
iv) उपर्युक्त को छोड़कर चोट के कारण स्थायी पूर्ण विकलांगता	100%

बशर्ते हमेशा कि :

- (1) ऐसे व्यक्ति के मामले में किसी एक घटना से उत्पन्न हानि के लिए मुआवजा उपरोक्त (i) से (iv) में से किसी एक ही मद के अंतर्गत मिलेगा तथा बीमाकर्ता का सकल दायित्व किसी एक बीमा अवधि के दौरान कुल रु.* से अधिक नहीं होगा।
- (2) निम्न स्थिति के कारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उत्पन्न या उसकी वजह से निर्मित होने के लक्षण हों तो मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा (क) जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना, आत्महत्या या आत्महत्या की, शारीरिक दोष या अवस्थला की कोशिश करना या (ख) मदिरा या नशीली दवाइयों के सेवन के बाद उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित होना।
- (3) यह मुआवजा केवल पॉलिसी में दिये गये नामित बीमाधारक की मंजूरी से ही दिया जायेगा और वह सीधे चोटग्रस्त व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधि(यों) को दिया जाएगा जिनसे प्राप्त रसीद ऐसे चोटग्रस्त व्यक्ति के मामले में पूर्ण भुगतान का प्रमाण होगी।
- (4) ऐसी चोट की घटना के समय बीमाकृत वाहन में** से अधिक व्यक्ति / यात्री न हों।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधधीन।

* यदि नाम न दिये गये पिलियन / साइड कार यात्री के लिए वैयक्तिक दुर्घटना आवरण नहीं लिया गया हो तो इसे काट दें।

** प्रति यात्री मूल बीमा राशि (सीएसआई) दर्शायी जाये।

आईएमटी.19. बिना सीमा शुल्क के आयातित वाहनों के लिए आवरण

इस पॉलिसी में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि बीमाकृत वाहन और/या उसके उपसाधनों की हानि या क्षति के मामले में, जहाँ पुर्जे की आवश्यकता हो और जिस देश में मरम्मत के लिए बीमाकृत वाहन हो वहाँ के स्टॉक में पुर्जा उपलब्ध न हो या बीमाकर्ता ने* के अंतर्गत हानि या क्षति की राशि नकद में अदा करने का विकल्प चुन लिया हो तो उस मामले में, ऐसे किसी भी पुर्जे के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व निम्न के अनुसार सीमित होगा :-

- (i) जिस देश में वाहन की मरम्मत हो रही है वहाँ के निर्माकर्ता या उसके एजेंट द्वारा अंततम कैटलोग या मूल्य सूची में बताये गये मूल्य में से लागू मूल्यह्रास घटाकर मूल्य; या
 - (ii) यदि ऐसा कैटलोग या मूल्य सूची न हो तो निर्माकर्ता के वर्क्स से प्राप्त मूल्य; जिसमें, बीमाकृत वाहन मरम्मत के लिए रखा गया हो उस देश तक परिवहन, जरूरत के अनुसार हवाई परिवहन, की योग्य लागत तथा संबंधित आयात शुल्क जोड़ा जायेगा और पॉलिसी के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास घटाया जायेगा। तथा
- (ख) ऐसे पुर्जे लगाने की योग्य लागत।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधधीन।

* निजी गाड़ी तथा मोटराइज्ड दुपहिया पॉलिसियों के मामले में 'शर्त 3' लगायें और वाणिज्यिक वाहन पॉलिसी के मामले में 'शर्त 4' लगायें।

आईएमटी.20. संपत्ति क्षति के लिए दायित्व सीमा में कटौती

एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि पॉलिसी में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी बीमाकर्ता का दायित्व, बीमाधारक के स्वामित्व की या उसके न्यास में रखी हुई या उसके कब्जे में या नियंत्रण में रखी संपत्ति को छोड़कर, अन्य किसी संपत्ति की क्षति के लिए रु. 6000/- (रुपये छह हजार मात्र) तक सीमित है।

दायित्व की सीमा में कटौती के परिणामस्वरूप बीमाधारक के प्रीमियम में रु.* की कटौती एतद्वारा की जाती है।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधधीन।

* दुपहिया वाहन के लिए रु. 50/-, निजी गाड़ियों के लिए रु. 100/-, वाणिज्यिक वाहनों के लिए तिपहिया और टैक्सि के लिए रु. 150/- या वाणिज्यिक वाहनों के लिए (तिपहिया और टैक्सि को छोड़कर) रु. 200/- दर्शायें।

आईएमटी.21. विशेष अपवर्जन और अनिवार्य अंशवहन

(टैक्सियों और भाड़ा या पारिश्रमिक पर यात्रियों को ले जानेवाले मोटराइज्ड दुपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए लागू)

यहां पर किसी बात के अन्यथा होते हुए भी एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि

क) विशेष अपवर्जन

बीमाकृत वाहन की समग्र हानि के मामले को छोड़कर, अन्य मामलों में बीमाकर्ता पॉलिसी के खंड। के अंतर्गत

IMT.18. PERSONAL ACCIDENT TO UNNAMED HIRER AND UNNAMED PILLION PASSENGERS

(Applicable to Motorized two wheelers with or without side car)

In consideration of the payment of an additional premium it is hereby understood and agreed that the insurer undertakes to pay compensation to any unnamed hiree/driver any unnamed pillion/sidecar passenger on the scale provided below for bodily injury caused by violent, accidental external and visible means which mounting into/onto and/or dismounting from or travelling in/on the vehicle insured which independently of any other cause shall within three calendar months of the occurrence of such injury result in :-

Details of Injury	Scale of Compensation
i) Death	100%
ii) Loss of two limbs or sight of two eyes or one limb and sight of one eye	100%
iii) Loss of one limb or sight of one eye	50%
iv) Permanent Total Disablement from injuries other than named above	100%

Provided always that :

- (1) compensation shall be payable under only one of the items (i) to (iv) above in respect of any such person arising out of any one occurrence and total liability of the insurer shall not in the aggregate exceed the sum of Rs.* during any one period of insurance in respect of any such person.
- (2) no compensation shall be payable in respect of death or injury directly or indirectly wholly or in part arising or resulting from or traceable to (a) intentional self injury suicide or attempted suicide physical defect or infirmity or (b) an accident happening whilst such person is under the influence of intoxicating liquor or drugs.
- (3) such compensation shall be payable only with the approval of the insured name in the policy and directly to the injured person or his/her legal representative(s) whose receipt shall be a full discharge in respect of the injury of such person.
- (4) not more than** person/passengers are in the vehicle insured at the time of occurrence of such injury.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

* Delete if P.A. cover for unnamed pillion / side car passenger is not taken.

**The Capital Sum Insured (CSI) per passenger is to be inserted.

IMT.19. COVER FOR VEHICLES IMPORTED WITHOUT CUSTOMS DUTY

Notwithstanding anything to the contrary contained in this policy it is hereby understood and agreed that in the event of loss or damage to the vehicle insured and/or its accessories necessitating the supply of a part not obtainable from stocks held in the country in which the vehicle insured is held for repair or in the event of the insurer exercising the option under* to pay in cash the amount of the loss or damage the liability of the insurer in respect of any such part shall be limited to :-

- (i) the price quoted in the latest catalogue or the price list issued by the Manufacturer or his Agent for the country in which the vehicle insured is held for repair less depreciation applicable. OR
 - (ii) if no such catalogue or price list exists the price list obtaining at the Manufacturer's Works plus the reasonable cost of transport otherwise than by air to the country in which the vehicle insured is held for repair and the amount of the relative import duty less depreciation applicable under the Policy. and
- (b) the reasonable cost of fitting such parts.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

* Insert 'Condition 3' in the case of the Private Car and Motorised Two Wheeler Policies and 'Condition 4' in the case of Commercial Vehicles Policy.

IMT.20. REDUCTION IN THE LIMIT OF LIABILITY FOR PROPERTY DAMAGE

It is hereby understood and agreed that notwithstanding anything to the contrary contained in the policy the insurers liability is limited to Rs. 6000/- (Rupees Six Thousand Only) for damage to property other than the property belonging to the insured or held in trust or in custody or control of the insured.

In consideration of this reduction in the limit of liability a reduction in premium of Rs.* is hereby made to the Insured.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

* To insert Rs. 50/- for Two Wheelers, Rs. 100/- for Private Cars, Rs. 150/- for Commercial Vehicles - three wheelers and taxis or Rs. 200/- for Commercial Vehicles (excluding three wheelers and taxis).

IMT.21. SPECIAL EXCLUSIONS AND COMPULSORY DEDUCTIBLE

(Applicable to all Commercial Vehicles excluding taxis and motorized two wheelers carrying passenger for hire or reward)

Notwithstanding anything to the contrary Contained herein it is hereby understood and agreed that.

a) Special Exclusions

except in the case of Total Loss of the vehicle insured, the insurer shall not be liable

लैम्प, टायर, ट्यूब, मडगार्ड, साइड पार्ट, बम्पर और रंग कार्य की हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

ख) अनिवार्य अंशवहन

उक्त पैरा (क) के अंतर्गत बीमाधारक द्वारा वहन की जानेवाली किसी भी राशि के अलावा भी बीमाधारक को पॉलिसी के खंड 1 के अंतर्गत उस हर और प्रत्येक मामले के संबंध में राशि वहन करनी होगी। (समग्र हानि / प्रलक्षित समग्र हानि के मामले भी इसमें शामिल हैं) कोई व्यय जिसके लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रावधान किया गया है और/या ऐसा कोई व्यय जो इस पॉलिसी की शर्त क्र. 4 के अंतर्गत बीमाकर्ता ने अपने विवेकानुसार करना तय किया हो।

ऐसा कोई व्यय जो बीमाकर्ता ने किया हो और उसमें किसी राशि के लिए इसके तहत बीमाधारक जिम्मेदार हो तो वह राशि बीमाधारक बाद में बीमाकर्ता को लौटा देगा।

इस पृष्ठांकन के उद्देश्य के लिए "मामले" का अर्थ है ऐसा कोई मामला या मामलों की शृंखला जो बीमाकृत वाहन के संबंध में किसी एक कारण से उत्पन्न हुई हो और जिसके लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दी जा रही हो।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अध्याधीन।

* टैरिफ के जोआर 40 के अनुसार बीमाकृत वाहन की श्रेणी के आधार पर यथायोग्य राशि दर्शाएँ।

आईएमटी.22. अनिवार्य अंशवहन

(निजी गाड़ियों, तिपहिया वाहनों जिन्हें निजी गाड़ी का दर्जा है, सभी मोटराइज्ड दुपहिया वाहनों, टैक्सियों, निजी गाड़ी जैसे वाहनों जो पब्लिक / प्राइवेट भाड़े के लिए चलाये जाते हैं, निजी प्रकार की टैक्सि जो प्राइवेट भाड़े पर दी जाती है, के लिए लागू)

पॉलिसी में किसी बात के अन्वया होते हुए भी एतद्वारा या समझा और स्वीकृत माना जाता है कि बीमाधारक को पॉलिसी के खंड 1 के अंतर्गत उस हर और प्रत्येक मामले के संबंध में राशि वहन करनी होगी। (समग्र हानि / प्रलक्षित समग्र हानि के मामले भी इसमें शामिल हैं) किसी व्यय के प्रथम रु.* (या उससे कम कोई भी किया गया व्यय), जिसके लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रावधान किया गया है और / या ऐसा कोई व्यय जो इस पॉलिसी की शर्त क्र.** के अंतर्गत बीमाकर्ता ने अपने विवेकानुसार करना तय किया हो।

ऐसा कोई व्यय जो बीमाकर्ता ने किया हो और उसमें किसी राशि के लिए इसके तहत बीमाधारक जिम्मेदार हो तो वह राशि बीमाधारक बाद में बीमाकर्ता को लौटा देगा।

इस पृष्ठांकन के उद्देश्य के लिए "मामले" का अर्थ है ऐसा कोई मामला या मामलों की शृंखला जो बीमाकृत वाहन के संबंध में किसी एक कारण से उत्पन्न हुई हो और जिसके लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दी जा रही हो।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अध्याधीन।

आईएमटी.22क. वैकल्पिक अंशवहन

(निजी गाड़ियों / मोटराइज्ड दुपहिया वाहनों के लिए जो भाड़े या पारिश्रमिक के लिए नहीं हैं)

एतद्वारा यह घोषित और स्वीकृत किया जाता है कि बीमाधारक ने रु.* के वैकल्पिक अंशवहन का विकल्प लिया है, इसके तहत पॉलिसी के खंड 1 के अंतर्गत उसके प्रीमियम में रु.** की कटौती की जाती है।

उक्त के परिणामस्वरूप या समझा और स्वीकृत माना जाता है कि बीमाधारक को पॉलिसी के खंड 1 के अंतर्गत उस हर और प्रत्येक मामले के संबंध में राशि वहन करनी होगी। (समग्र हानि / प्रलक्षित समग्र हानि के मामले भी इसमें शामिल हैं) किसी व्यय के प्रथम रु.*** (या उससे कम कोई भी किया गया व्यय), जिसके लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रावधान किया गया है और / या ऐसा कोई व्यय जो इस पॉलिसी की शर्त क्र.# के अंतर्गत बीमाकर्ता ने अपने विवेकानुसार करना तय किया हो।

ऐसा कोई व्यय जो बीमाकर्ता ने किया हो और उसमें किसी राशि के लिए इसके तहत बीमाधारक जिम्मेदार हो तो वह राशि बीमाधारक बाद में बीमाकर्ता को लौटा देगा।

इस पृष्ठांकन के उद्देश्य के लिए "मामले" का अर्थ है ऐसा कोई मामला या मामलों की शृंखला जो बीमाकृत वाहन के संबंध में किसी एक कारण से उत्पन्न हुई हो और जिसके लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दी जा रही हो।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अध्याधीन।

*निजी गाड़ियों के लिए टैरिफ / मोटराइज्ड दुपहिया वाहनों के लिए टैरिफ के अंतर्गत बीमाधारक द्वारा चुने गए वैकल्पिक अंशवहन की राशि दर्शाएँ।

**निजी गाड़ियों के लिए टैरिफ / मोटराइज्ड दुपहिया वाहनों के लिए टैरिफ के प्रावधानों के अनुसार चुने गए वैकल्पिक अंशवहन से संबंधित यथायोग्य राशि दर्शाएँ।

***जीआर 40 के अनुसार बीमाकृत वाहन को लागू अनिवार्य अंशवहन और चुने गये वैकल्पिक अंशवहन की कुल राशि दर्शाएँ।

#निजी गाड़ियों के लिए टैरिफ / मोटराइज्ड दुपहिया वाहनों के लिए टैरिफ की पॉलिसी शर्त क्र. 3 दर्शाएँ।

आईएमटी.24. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग

(साधन जो वाहन में लगाये गये हैं लेकिन निर्माणकर्ता की वाहन मूल्य की बिक्री सूची में शामिल नहीं है केवल पैकेज पॉलिसी)

रु.* के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर, इस पॉलिसी में किसी बात के अन्वया होते हुए भी एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि बीमाकर्ता अनुसूची में दर्शाये गये ऐसे इलेक्ट्रिकल और/या इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग की हानि या क्षति के लिए बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देगा जब ये साधन बीमाकृत वाहन में या वाहन पर लगे हुए हों और ऐसी हानि या क्षति पॉलिसी के खंड 1 में बतायी गयी किसी आपदा के कारण हुई हो।

तथापि बीमाकर्ता, इन साधनों की उस हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल खराबी के कारण हुई हो।

under Section I of the policy for loss of or damage to lamps tyres tubes mudguards side parts bumpers and paint work.

b) Compulsory Deductible

In addition to any amount which the insured may be required to bear under para (a) above the insured shall also bear under section I of the policy in respect of each and every event (including event giving rise to total loss/constructive which may be incurred) for which provision is made under this policy and/or of any expenditure by the insurer in the exercise of its discretion under Condition No. 4 of this policy.

If the expenditure incurred by the insurer shall include any amount for which the insured is responsible hereunder such amount shall be repaid by the insured to the insurer forthwith.

For the purpose of this Endorsement the expression "event" shall mean an event or series of events arising out of one cause in connection with the vehicle insured in respect of which indemnity is provided under this policy.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

* to insert amount as appropriate to the class of vehicle insured as per GR. 40 of the tariff.

IMT.22. COMPULSORY DEDUCTIBLE

(Applicable to Private Cars, three wheelers rated as private cars, all motorized two wheelers, taxis, private car type vehicle plying for public/private hire, private type taxi let out on private hire)

Notwithstanding anything to the contrary contained in the policy it is hereby understood and agreed that the insured shall bear under Section 1 of the policy in respect of each and every event (including event giving rise to a total loss/constructive total loss) the first Rs.* (or any less expenditure which may be incurred) of any expenditure for which provision has been made under this policy and/or any expenditure by the insurer in the exercise of his discretion under Condition no** of this policy.

If the expenditure incurred by the insure shall include any amount for which the insured is responsible hereunder such amount shall be repaid by the insured to the insurer forthwith.

For the purpose of this Endorsement the expression "event" shall mean an event or series of events arising out of one cause in connection with the vehicle insured in respect of which indemnity provided under this policy.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

IMT.22A. VOLUNTARY DEDUCTIBLE

(For private cars/motorized two wheelers other than for hire or reward)

It is hereby declared and agreed that the insured having opted a voluntary deductible of Rs.* a reduction in premium of Rs.** under section 1 of the policy is hereby allowed.

In consideration of the above, it is hereby understood and agreed that the insured shall bear under Section 1 of the policy in respect of each and every event (including event giving rise to a total loss/constructive total loss) the first Rs.*** (or any less expenditure which may be incurred) of any expenditure for which provision has been made under this policy and/or of any expenditure by the insurer in the exercise of his discretion under Condition no# of this policy.

If the expenditure incurred by the insurer shall include any amount for which the insured is responsible hereunder such amount shall be repaid by the insured to the insurer forthwith.

For the purpose of this Endorsement the expression "event" shall mean an event or series of events arising out of one cause in connection with the vehicle insured in respect of which indemnity provided under this policy.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

*To insert voluntary deductible amount opted by the insured under tariff for Private car/ tariff for motorised two wheeler.

**To insert appropriate amount relating to the voluntary deductible opted as per the provision of tariff for Private car/tariff for motorised two wheeler.

***To insert aggregate amount of voluntary deductible opted and the compulsory deductible to the vehicle insured as in G. R. 40.

#To insert policy condition No. 3 of the tariff for private car/tariff for motorised two wheelers.

IMT.24. ELECTRICAL / ELECTRONIC FITTING

(Items fitted in the vehicle but not included in the manufacturer's listed selling price of the vehicle - Package Policy only)

In consideration of payment of an additional premium of Rs.*, notwithstanding anything to the contrary contained in the policy it is hereby understood and agreed that the insurer will indemnify the insured against loss of or damage to such electrical and/or electronic fitting(s) as specified in the schedule whilst it/these is/are fitted in or on the vehicle insured where such loss or damage is occasioned by any of the perils mentioned in Section 1 of the policy.

The insurer shall, however, not be liable for loss of or damage to such fitting(s) caused by/as a result of mechanical or electrical breakdown.

बशर्त हमेशा कि बीमाकर्ता का दायित्व इसके अंतर्गत साधन के बीमाधारक के घोषित मूल्य (आईडीवी) से अधिक नहीं होगा।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधीन।

आईएमटी.25. वो इंजन स्टिम में सीएनजी / एलपीजी सामग्री (किट)

(सामग्री (किट) के लिए स्वयं क्षति आवरण)

रु.* के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर, इस पॉलिसी में किसी बात के अन्वया होते हुए भी एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि बीमाकर्ता इस पॉलिसी के खंड 1 की शर्तों, प्रतिबंधों, सीमाओं और अपवादों के अनुसार बीमाकृत वाहन में लगे सीएनजी / एलपीजी सामग्री (किट) की उस हानि और/या क्षति के लिए बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देगा जो बीमाकृत वाहन की किसी दुर्घटनात्मक हानि या क्षति से हुई हो तथा क्षतिपूर्ति की सीमा पॉलिसी की अनुसूची में निर्दिष्ट सीएनजी / एलपीजी सामग्री (किट) के बीमाधारक के घोषित मूल्य से अधिक नहीं होगी।

*जी. आर. 42 की शर्तों के अनुसार निश्चित राशि दर्शाये।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधीन।

आईएमटी.26. केवल अग्नि और/या चोरी जोखिम

(श्रेणी - डी के अंतर्गत दर निर्धारित विविध और विशेष प्रकार के वाहनों के लिए तथा वाणिज्यिक वाहन टैरिफ के श्रेणी - ई, एफ और जी के अंतर्गत मोटर ट्रेड पॉलिसियों के वाहनों के लिए लागू नहीं है।)

किसी बात के अन्वया होते हुए भी यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि पॉलिसी का खंड II रद्द समझा जाता है और खंड I के अंतर्गत बीमाकर्ता, वाहन गराज में रखा हुआ होने पर तथा उपयोग में न होने पर केवल उस हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगा जो अग्नि, विस्फोट, स्वयं प्रज्वलन, विद्युत और/या संधमारी, गृहवेधन, चोरी तथा दंगा, हड़ताल, द्वेषपूर्ण क्षति, आतंकवाद, आँधी, तूफान, बाढ़, जल आप्लावन और भूकंप जैसी आपदाओं से हुई हो।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधीन।

नोट : (i) केवल अग्नि जोखिम के मामले में, "संधमारी, गृहवेधन, चोरी" ये शब्द हटा दिये जायें।

नोट : (ii) केवल चोरी जोखिम के मामले में, "अग्नि, विस्फोट, स्वयं प्रज्वलन, विद्युत, दंगा, हड़ताल, द्वेषपूर्ण क्षति, आतंकवाद, आँधी, तूफान, बाढ़, जल आप्लावन और भूकंप आपदाएं" शब्द हटा दिये जायें।

आईएमटी.27. वायित्व तथा अग्नि और/या चोरी

(वाणिज्यिक वाहनों के लिए टैरिफ के श्रेणी - डी के अंतर्गत दर निर्धारित विविध और विशेष प्रकार के वाहनों के लिए लागू नहीं है।)

इस पॉलिसी में किसी अन्य बात के अन्वया होते हुए भी एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि पॉलिसी का खंड I के अंतर्गत बीमाकर्ता केवल उस हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा जो अग्नि, विस्फोट, स्वयं प्रज्वलन, विद्युत और/या संधमारी, गृहवेधन, चोरी तथा दंगा, हड़ताल, द्वेषपूर्ण क्षति, आतंकवाद, आँधी, तूफान, बाढ़, जल आप्लावन और भूकंप जैसी आपदाओं से होगी, अन्यथा के लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधीन।

नोट : (i) केवल वायित्व और अग्नि जोखिम के मामले में, "संधमारी, गृहवेधन, चोरी" ये शब्द हटा दिये जायें।

नोट : (ii) केवल वायित्व और चोरी जोखिम के मामले में, "अग्नि, विस्फोट, स्वयं प्रज्वलन, विद्युत, दंगा, हड़ताल, द्वेषपूर्ण क्षति, आतंकवाद, आँधी, तूफान, बाढ़, जल आप्लावन और भूकंप आपदाएं" शब्द हटा दिये जायें।

आईएमटी.28. बीमाकृत वाहन के परिचालन के संबंध में नियुक्त वेतनभोगी ड्राइवर और/या कंडक्टर और/या क्लिनर के प्रति विधिक दायित्व

(सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए)

रु. 25/- के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर, पॉलिसी में किसी बात के अन्वया होते हुए भी एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि बीमाकर्ता, बीमाकृत वाहन के संबंध में व्यवसाय के लिए बीमाधारक की सेवा में नियुक्त किसी वेतनभोगी ड्राइवर और/या कंडक्टर और/या क्लिनर की वैयक्तिक चोटों के लिए बीमाधारक पर आनेवाले उस विधिक दायित्व के प्रति क्षतिपूर्ति करने हेतु उत्तरदायी होगा जो कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 या आम कानून तथा इस पृष्ठांकन की तिथि से पहले इन अधिनियमों में हुए परिवर्तनों संशोधनों के अंतर्गत आते हों तथा बीमाकर्ता की लिखित सहमति से किए गए सभी लागतों और व्ययों के लिए भी वह उत्तरदायी होगा।

बशर्त हमेशा कि

(1) इस पृष्ठांकन के अंतर्गत बीमाधारक अपने सामान्य कर्मचारियों के संबंध में यहां पर वर्णित उसके दायित्व के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता जहां बीमाधारक के पास अन्य बीमाकर्ता से या बीमाकर्ताओं के समूह से ली गयी या बाद में प्रभावी होने वाली बीमा पॉलिसी हो;

(2) बीमाधारक दुर्घटनाओं को टालने के लिए सभी यथायोग्य सावधानियां बरतेंगे और सभी सांविधिक बाध्यताओं का पालन करेंगे;

(3) बीमाधारक प्रत्येक वेतनभोगी ड्राइवर, कंडक्टर, क्लिनर या माल लदान और/या माल उतराई के लिए नियुक्त व्यक्तियों के नामों का, उन्हें दिये गये पारिश्रमिक और वेतन तथा ऐसे कर्मचारियों को दिये गये अन्य भुगतान का रिकार्ड रखेगा तथा बीमाकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर ऐसे रिकार्ड बीमाकर्ता के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(4) बीमाधारक के अनुरोध पर पॉलिसी रद्द किये जाने के मामले में, इस पृष्ठांकन के संबंध में कोई प्रीमियम वापसी अनुमत नहीं होगी।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, प्रतिबंधों, सीमाओं और अपवादों के तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अपेक्षाओं की पूर्ति की आवश्यकता के अधीन।

*निजी गाड़ियों / मोटराइज्ड दुपहिया वाहनों के मामले में (जो भाड़े या पारिश्रमिक पर नहीं चलाये जाते) यह पैरा हटा दिया जाये।

Provided always that the liability of the insurer hereunder shall not exceed the Insured's Declared Value (IDV) of the item.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

IMT.25. CNG/LPG KIT IN BI-FUEL SYSTEM

(Own Damage cover for the kit)

In consideration of payment of premium of Rs.*, notwithstanding anything to the contrary contained in the policy it is hereby understood and agreed that the insurer will indemnify the insured in terms conditions limitations and exception of Section 1 of the policy against loss and/or damage to the CNG/LPG kit fitted in the vehicle insured arising from an accidental loss or damage to the vehicle insured subject to the limit of the insured declared value of the CNG/LPG kit specified in the Schedule of the policy.

*To insert the sum arrived at in terms of G. R. 42.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

IMT.26. FIRE AND/OR THEFT RISKS ONLY

(Not applicable for Miscellaneous and Special Type of vehicles rateable under Class-D and Motor Trade Policies under Classes-E, F and G of the Commercial Vehicle Tariff) any

Notwithstanding anything to the contrary contained in the policy it is hereby understood and agreed that Section II of the Policy is deemed to be cancelled and under Section I thereof the insurer shall only be liable to indemnify the insured against loss or damage by fire explosion self Ignition lightning and/or burglary housebreaking theft and riot strike malicious damage terrorism storm tempest flood inundation and earthquake perils whilst the vehicle is laid up in garage and not in use.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

NB. (i) In case of Fire Risk only, the words "burglary housebreaking theft" are to be deleted.

NB. (ii) In case of Theft Risk only, the words "fire explosion self ignition lightning riot strike malicious damage terrorism storm tempest flood inundation and earthquake perils" are to be deleted.

IMT.27. LIABILITY AND FIRE AND/OR THEFT

(Not applicable for Miscellaneous and Special Type of vehicles rateable under Class-D of the Tariff for Commercial Vehicle)

Notwithstanding anything to the contrary contained in the policy it is hereby understood and agreed that Section I of the Policy the insurer shall not be liable thereunder except in respect of loss or damage by fire explosion self ignition lightning and/or burglary housebreaking theft and riot strike malicious damage terrorism storm tempest flood inundation and earthquake perils.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

NB. (i) In case of Liability and Fire Risk only, the words "burglary housebreaking theft" are to be deleted.

NB. (ii) In case of Liability and Theft Risk only, the words "fire explosion self ignition lightning riot strike malicious damage terrorism storm tempest flood inundation and earthquake perils" are to be deleted.

IMT.28. LEGAL LIABILITY TO PAID DRIVER AND/OR CONDUCTOR AND/OR CLEANER EMPLOYED IN CONNECTION WITH THE OPERATION OF INSURED VEHICLE

(for all Classes of vehicles)

In consideration of an additional premium of Rs. 25/- notwithstanding anything to the contrary contained in the policy it is hereby understood and agreed that the insurer shall indemnify the insured against the Insured's legal liability under the Workmen's Compensation Act, 1923, the Fatal Accidents Act, 1855 or at Common Law and subsequent amendments of these Acts prior to the date of this Endorsement in respect of personal injury to any paid driver and/or conductor and/or cleaner whilst engaged in the service of the insured in such occupation in connection with the vehicle insured herein and will in addition be responsible for all costs and expenses incurred with its written consent.

Provided always that

(1) this Endorsement does not indemnify the insured in respect of any liability in cases where the insured holds or subsequently effect with any insurer or group of insurers a Policy of insurance in respect of liability as herein defined for insured's general employees;

(2) the insured shall take reasonable precautions to prevent accidents and shall comply with all statutory obligations;

(3) the insured shall keep record of the name of each paid driver conductor cleaner or persons employed in loading and/or unloading and the amount of wages and salaries and other earnings paid to such employees and shall at all times allow the insurer to inspect such records on demand.

(4) in the event of the Policy being cancelled at the request of the insured no refund of the premium paid in respect of this Endorsement will be allowed.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy except so far as necessary to meet the requirements of the Motor Vehicle Act, 1988.

*In case of Private cars/motorised two wheelers (not used for hire or reward) delete this para.

आईएमटी.29. वेतनभोगी ड्राइवर और/या कंडक्टर और/या क्लिन्नर को छोड़कर नियोक्ता की गाड़ी में यात्रा कर रहे या ड्राइविंग कर रहे बीमाधारक के कर्मचारियों के प्रति विधिक दायित्व

(केवल निजी गाड़ियाँ / मोटराइज्ड दुपहिया वाहन (जो भाड़े या पारिश्रमिक पर न हो))

प्रति कर्मचारी रु. 25/- के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर, पॉलिसी में किसी बात के अन्वयाह होते हुए भी एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि बीमाकर्ता, आम कानून और घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के अंतर्गत सांविधिक दायित्व के अनुसार बीमाधारक के उस दायित्व के लिए क्षतिपूर्ति देगा, जो किसी कर्मचारी की (वेतनभोगी ड्राइवरों को छोड़कर), बीमाकृत वाहन में बीमाधारक द्वारा ले जाते समय या वाहन या उसमें प्रवेश करते समय या उस पर चढ़ते समय या उससे उतरते समय या ड्राइविंग करते समय मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए, मुआवजे के रूप में (किसी दावेदार की विधिक लागत को जोड़कर) बीमाधारक द्वारा देय हो।

बशर्ते किसी दुर्घटना के मामले में जब बीमाकृत वाहन बीमाधारक के* से ज्यादा कर्मचारी (ड्राइवर को जोड़कर) वहन कर रहा हो, तब बीमाधारक ऐसे बीमाकृत वाहन के संबंध में हुई दुर्घटना के लिए इस पृष्ठांकन की वजह से बीमाकर्ता द्वारा भुगतान की गयी कुल राशि का यथानुपात हिस्सा बीमाकर्ता को वापस लौटायेगा।

अन्वयाह इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अध्यधीन।

नोट : *जितने कर्मचारियों के लिए प्रीमियम अदा किया गया हो उनकी संख्या दर्शाये।

आईएमटी.31. विश्वसनीयता परीक्षण और रैलियों

(निजी गाड़ियाँ और मोटराइज्ड दुपहिया वाहन)

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि इस पॉलिसी के द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति# के तत्वावधान में दिनांक/...../..... को या उसके आसपास में*** में आयोजित* में बीमाकृत वाहन के शामिल होने के कारण एतद्वारा विस्तारित की जाती है।

बशर्ते कि :

(क)# को इस पृष्ठांकन द्वारा कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।

(ख) यह पॉलिसी संगठित दौड़, गति बढ़ने या तेज गति परीक्षण को आवरित नहीं करती।

(ग)* के दौरान बीमाकर्ता उक्त घटना घटते समय हुए किसी दावे में बीमाकृत वाहन में ले जाते समय या उस पर सवार होने से या उसमें प्रवेश करने या उस पर चढ़ने या उतरने के समय किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है।

आगे यह भी समझा और स्वीकृत माना जाता है कि जब बीमाकृत वाहन* में शामिल हो, तो बीमाधारक इस पॉलिसी के खंड 1 के अंतर्गत हर और प्रत्येक दावे के प्रथम रु.@ (या जितनी राशि के लिए दावे का मूल्यांकन किया जाता है उसमें से इससे कम की राशि) स्वयं वहन करेगा।

बशर्ते कि यदि बीमाकर्ता पॉलिसी की शर्त 3 के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार किसी दावे के निपटान में कोई भुगतान करता है और इस भुगतान में ऐसी राशि भी शामिल हो जो इस पृष्ठांकन की वजह से बीमाधारक द्वारा वहन की जानी चाहिए तो उस स्थिति में बीमाधारक अपने जिम्मे की राशि को बीमाकर्ता के पास वापस कर देगा।

इस पृष्ठांकन के उद्देश्य के लिए "दावा" शब्द का मतलब है किसी एक घटना से उत्पन्न कोई एक दावा या दावों की शृंखला।

अन्वयाह इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अध्यधीन।

*घटना का नाम दर्शाया जाये।

@निजी गाड़ियों के लिए रु. 5000/- और मोटराइज्ड दुपहिया वाहनों के लिए रु. 2500/- लिखें।

घटना की अवधि के लिए आईएमटी 22 के उद्देश्य हेतु पॉलिसी के खंड 1 के अंतर्गत अंशवहन आईएमटी 22 में दी गयी राशि या यहां पर दर्शायी गयी राशि में से जो भी अधिक होगी, लिखी जायेगी।

**घटना का स्थान दर्शाया जाये।

#केवल दायित्व पॉलिसियों के मामले में पूरा पैरा दर्शाया जाये।

आईएमटी.32. ड्राइवर के रूप में नियुक्त सिपाहियों / खलासियों / वायु सैनिकों की दुर्घटना

रु. 100/- के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि बीमाकृत वाहन को चलाने के लिए बीमाधारक द्वारा कोई सिपाही / खलासी / वायु सैनिक नियुक्त किया जाता है और इस नियोजन के दौरान वह जख्मी या मृत हो जाता है तो यह पॉलिसी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संबंधित नियमों के तहत क्षतिपूर्ति करने के बीमाधारक के दायित्व से उसे मुक्त करने हेतु विस्तारित होगी।

अन्वयाह इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अध्यधीन।

*अतिरिक्त प्रीमियम की राशि निश्चित है और वह बीमा अवधि पर आधारित नहीं है जो कि 12 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, 12 माह से अधिक पॉलिसी अवधि के किसी विस्तारण के लिए इस पृष्ठांकन के तहत और अतिरिक्त प्रीमियम अदा करना होगा।

आईएमटी.33. उपसाधनों की हानि

(केवल मोटराइज्ड दुपहिया वाहन पॉलिसियों के लिए लागू)

रु. के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि दि./...../..... से, खंड 1 में किसी बात के अन्वयाह होते हुए, परंतु अन्वयाह इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों और सीमाओं के अध्यधीन बीमाकर्ता, बीमाधारक के उपसाधनों की संपत्ति की, जो बीमाधारक द्वारा विशेष तौर पर घोषित की गयी हैं, संधमारी, गृहवेधन या चोरी के कारण हानि या क्षति के लिए बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देगा।

अन्वयाह इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अध्यधीन।

आईएमटी.35. किरायेदार *द्वारा चलाये जाने वाले किराए के वाहन

(चौपहिया वाहनों को, जिनकी वाहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक नहीं है तथा मोटराइज्ड दुपहिया वाहनों को लागू)

इस पॉलिसी में किसी बात के अन्वयाह होते हुए भी एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि उन स्थितियों के अलावा जब बीमाकृत वाहन नामित बीमाधारक या बीमाधारक के नियोजन में रहे ड्राइवर द्वारा चलाया जा रहा हो या चलाने के उद्देश्य से लिया जा रहा हो, पॉलिसी केवल तभी परिचालन में मानी जायेगी जब बीमाकृत वाहन बीमाधारक द्वारा किसी व्यक्ति को (जिसे इसके बाद किरायेदार कहा जायेगा) किराये पर दिया गया हो जिसने :-

(i) बीमाधारक के साथ किराया करार किया हो और जिसने इस प्रकार किराये पर वाहन लेने से पहले अनुपूरक प्रस्ताव फॉर्म* संतुष्टिपूर्वक पूरी तरह भरा हो और हस्ताक्षरित किया हो।

IMT.29. LEGAL LIABILITY TO EMPLOYEES OF THE INSURED OTHER THAN PAID DRIVER AND/OR CONDUCTOR AND/OR CLEANER WHO MAY BE TRAVELLING OR DRIVING IN THE EMPLOYER'S CAR

(Private Cars only/Motorised two wheelers (not for hire or reward))

In consideration of the payment of an additional premium @ Rs. 25/- per employee insured notwithstanding anything to the contrary contained in the policy it is hereby understood and agreed that the insurer will indemnify the insured against the Insured's liability at Common Law and Statutory Liability under the Fatal Accident Act, 1855 for compensation (including legal costs of any claimant) of death or bodily injury to any employee (other than paid drivers) of the within named insured being carried in or upon or entering in or getting on to or alighting from or driving the vehicle insured.

Provided that in the event of an accident whilst the vehicle insured is carrying more than* employees of the insured (including the driver) the insured shall repay to the insurer a rateable proportion of the total amount payable by the insurer by the reason of this endorsement in respect of accident in connection with such vehicle insured.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

NB. *To insert the number of employees for which the premium has been paid.

IMT.31. RELIABILITY TRIALS AND RALLIES

(Private Cars and Motorised Two Wheelers)

In consideration of the payment of an additional premium it is hereby understood and agreed that the indemnity granted by this policy is extended to apply whilst the vehicle insured is engaged in* to be held at*** on or about the date of/...../..... under the auspices of#.

Provided that :

- No indemnity shall be granted by this Endorsement to#.
- This Policy does not cover use for organised racing, pace making or speed testing.
- During the course of the* the Insurer shall not be liable in respect of death or bodily injury to any person being carried in or upon or entering or getting on to or alighting from the vehicle insured at the time of the occurrence of the event out of which any claim arises.

It is further understood and agreed that while the vehicle insured is engaged in* the insured shall bear the first Rs.@ (or any less amount for which the claim may be assessed) of each and every claim under Section I of this Policy.

Provided that if the insurer shall make any payment in exercise of its discretion under Condition No. 3 of the policy in settlement of any claim and such payment includes the amount for which the insured is responsible by reason of this Endorsement the insured shall repay to the insurer forthwith the amount for which the insured is so responsible.

For the purpose of this Endorsement the expression "claim" shall mean a claim or series of claims arising out of one event.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

*To insert the name of the event.

@To insert Rs. 5000/- for Private cars or Rs. 2500/- for motorised two wheelers.

For the duration of the event the deductible under Section 1 of the policy for the purpose of IMT 22 will be the amount stated in IMT 22 or the amount stated herein, whichever is higher.

**To insert the venue of the event.

#To insert this entire paragraph in case of Liability Only Policies.

IMT.32. ACCIDENT TO SOLDIERS / SAILORS / AIRMEN EMPLOYED AS DRIVERS

In consideration of the payment of an additional premium of Rs. 100/-* it is hereby understood and agreed that in the event of any Soldier/Sailor/Airmen employed by the insured to drive the vehicle insured being injured or killed whilst so employed, this policy will extend to relieve the insured of his liability to indemnify Ministry of Defence under the respective Regulations.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

*This additional premium is flat and irrespective of period of insurance not exceeding 12 months. Any extension of the policy period beyond 12 months will call for payment of further additional premium under this endorsement.

IMT.33. LOSS OF ACCESSORIES

(Applicable to Motorised Two Wheeler Policies only)

In consideration of the payment of an additional premium of Rs. it is hereby understood and agreed that as from/...../..... notwithstanding anything to the contrary contained in Section I but subject otherwise to the terms exceptions conditions and limitations of this Policy the insurer will indemnify the insured in respect of loss of or damage to accessories the property of the insured, specifically declared by the insured caused by durglary, housebreaking or theft.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

IMT.35. HIRED VEHICLES - DRIVEN BY HIRER*

(Applicable to four wheeled vehicles with carrying capacity not exceeding 6 passengers and Motorised Two Wheelers)

It is hereby understood and agreed that notwithstanding anything to the contrary contained in this Policy unless the vehicle insured is being driven by or is for the purpose of being driven by the insured in the charge of the within named insured or a driver in the insured's employment, the policy shall only be operative whilst the vehicle insured is let on hire by the insured to any person (hereinafter called the Hirer) who :-

- shall have entered into a hire contract with the insured and who prior to such hiring shall have satisfactorily completed and signed a supplementary proposal form*

(ii) जिसने बीमाधारक को यह संतुष्टि दी हो कि -

- क) बीमाकृत वाहन केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर द्वारा ही चलाया जाएगा जिसके लाइसेंस पर कोई पृष्ठांकन नहीं होना चाहिए;
- ख) तथा उस ड्राइवर को मोटर बीमा नकारा गया नहीं हो या उसकी बीमा पॉलिसी कभी रद्द नहीं की गयी हो या कभी उस पर विशेष शर्तें नहीं लगायी गयीं हों या दावा अनुभव के आधार पर कभी उससे ज्यादा प्रीमियम नहीं मांगा गया हो।

आगे यह भी समझा और स्वीकृत माना जाता है कि बीमाकृत वाहन किराये पर किरायेदार को दिया हुआ होने के दौरान बीमाकर्ता निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं है -

- (1) चोरी से उत्पन्न कोई हानि, क्षति या दायित्व या किरायेदार द्वारा रुपांतरण, जब तक कि उसे आईडीवी पर @ 1.50% की दर से अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान पर आवरित न किया गया हो (पृष्ठांकन आईएमटी 43 का प्रयोग किया जाये)
- (2) हर और प्रत्येक दावे के प्रथम रु. जिनके लिए इस पॉलिसी के खंड 1 के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान की हो, परंतु इस पृष्ठांकन के कारण न हो।
- यदि कोई ऐसा व्यय बीमाकर्ता करता है जिसमें वह राशि भी शामिल है जिसके लिए इसके तहत बीमाधारक उत्तरदायी है तो बाद में बीमाधारक वह राशि बीमाकर्ता को वापस करेगा।
- इस पृष्ठांकन के उद्देश्य के लिए "दावा" शब्द का मतलब है वाहन के संबंध में एक ही कारण से उत्पन्न दावा या दावों की शृंखला।
- (3) यदि किरायेदार वाहन का उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों को ले जाने हेतु करे।

* इस पृष्ठांकन के उद्देश्य के लिए बीमाकर्ता, इस पॉलिसी के खंड 11 के। म.द में दी गयी शर्तों और प्रावधानों के अधीन उस व्यक्ति को किरायेदार मानेगा जो दुपहिया वाहन चला रहा हो।

आगे यह भी स्वीकृत किया जाता है कि बीमाधारक ऊपर उल्लिखित अनुपूरक प्रस्ताव फॉर्म जैसे कि किरायेदार से भरकर उसे प्राप्त होगा जैसे ही तुरंत वह उसे बीमाकर्ता को प्रस्तुत करेगा। वह प्रस्ताव और इस पॉलिसी में संदर्भित प्रस्ताव इस पृष्ठांकन में अभिव्यक्त करार का आधार होंगे जिससे वाहन ऐसे किरायेदार के पास किराये पर होने के दौरान क्षतिपूर्ति हेतु पॉलिसी परिचालन में रहेगी।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधीन।

नोट :

केवल दायित्व पॉलिसियों के लिए संपूर्ण मद (1) तथा (2) और मोटे अक्षरों में लिखा पैरा* हटा दिया जाये।

** बीमाकर्ता को चाहिए कि उचित अनुपूरक प्रस्ताव फॉर्म तैयार करें।

आईएमटी.36. किरायेदार को क्षतिपूर्ति - पैकेज पॉलिसी - बीमाधारक या किरायेदार की लापरवाही

एतद्वारा यह घोषित और स्वीकृत किया जाता है कि कंपनी बीमाकृत वाहन के किसी भी किरायेदार को बीमाकृत वाहन के संबंध में उत्पन्न और इस पॉलिसी में परिभाषित हानि, क्षति और दायित्व की क्षतिपूर्ति करेगी जो बीमाकृत वाहन के किराये पर रहने के दौरान नामित बीमाधारक या ऐसे बीमाधारक के किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुआ हो। बशर्तें यह कि ऐसा कोई किरायेदार बीमाधारक की तरह इस पॉलिसी की लागू शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों और सीमाओं का पालन करेगा और उनके अधीन रहेगा।

आईएमटी.43. चोरी और रुपांतरण जोखिम

यहां पर किसी भी बात के अन्वया होते हुए भी एतद्वारा इस पॉलिसी में यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि आईडीवी के @ 1.50% की दर से अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर, पृष्ठांकन आईएमटी 35 का क्लॉज ii (ख) (1) एतद्वारा हटा दिया गया माना जाता है।

आगे यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि चोरी और/या किरायेदार द्वारा रुपांतरण के संबंध में क्षतिपूर्ति केवल तभी लागू है जब पूरा वाहन चोरी और/या रुपांतरित हुआ हो।

आगे यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि नो क्लेम बोनस इसके अंतर्गत लिये जानेवाले अतिरिक्त प्रीमियम को लागू नहीं होगा।

आईएमटी.44. किरायेदार को क्षतिपूर्ति - पैकेज पॉलिसी - मालिक या किरायेदार की लापरवाही

एतद्वारा यह घोषित और स्वीकृत किया जाता है कि रु. के अतिरिक्त प्रीमियम पर बीमाकर्ता बीमाकृत वाहन के संबंध में वह किराये पर रहने के दौरान पॉलिसी में परिभाषित हानि, क्षति और दायित्व के लिए बीमाकृत वाहन के किसी भी किरायेदार को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

बशर्तें कि ऐसा कोई किरायेदार बीमाधारक की तरह इस पॉलिसी की लागू शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों और सीमाओं का पालन करेगा और उनके अधीन रहेगा।

आईएमटी.45. किरायेदार को क्षतिपूर्ति - केवल दायित्व पॉलिसी - मालिक या किरायेदार की लापरवाही

किरायेदार की लापरवाही

एतद्वारा यह घोषित और स्वीकृत किया जाता है कि रु. के अतिरिक्त प्रीमियम पर बीमाकर्ता मोटर वाहन के संबंध में वह किराये पर रहने के दौरान पॉलिसी में परिभाषित हानि, क्षति और दायित्व के लिए मोटर वाहन के किसी भी किरायेदार को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

बशर्तें कि ऐसा कोई किरायेदार बीमाधारक की तरह इस पॉलिसी की लागू शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों और सीमाओं का पालन करेगा और उनके अधीन रहेगा।

कानूनी विवेचना के लिए अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा।

(ii) shall have satisfied the insured -

- a) that the vehicle insured will only be driven by a duly licensed driver whose license has not been endorsed;
- b) that such driver has not been refused Motor Insurance nor had his/her insurance policy been cancelled nor had special conditions imposed nor had increased premium demanded from him/her by reason of claims experience.

It is also understood and agreed that whilst the vehicle insured is let on hire to the Hirer and insurer shall not be liable -

- (1) for any loss, damage or liability due to or arising from theft or conversion by the Hirer unless covered by payment of additional premium @ 1.50% on IDV. (Endt. IMT 43 is to be used)

- (2) To pay the first Rs. of each and every claim in respect of which indemnity would but for this endorsement have been provided by Section I of this Policy.

If the expenditure incurred by the Insurer shall include the amount for which the Insured is responsible hereunder, such amount shall be repaid by the insured to the insurer forthwith.

For the purpose of this endorsement the expression "Claim" shall mean a claim or series of claims arising out of one cause in respect of the vehicle.

- (3) If the vehicle is used by the Hirer for carriage of passengers for hire or reward.

* For the purpose of this endorsement the insurer will in terms of and subject to the provisions contained item I of Section II of this Policy, treat the Hirer as a person who is driving the Two Wheeler.

Further it is agreed that the insured shall forward to the insurer the supplementary proposal referred to above; completed by the Hirer immediately after receipt thereof which proposal as well as that referred to in this policy shall be the basis of the contract expressed in this endorsement so far as it related to the indemnity which is operative whilst the vehicle is let on hire to such Hirer.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

NOTE :

For Liability only policies delete the whole of items (1) and (2) and the paragraph in bold marked with*.

** Insurer to devise a suitable supplementary proposal form.

IMT.36. INDEMNITY TO HIRER - PACKAGE POLICY - NEGLIGENCE OF THE INSURED OR HIRER

It is hereby declared and agreed that the company will indemnify any hirer of the vehicle insured against loss, damage and liability as defined in this Policy arising in connection with the vehicle insured by reason of the negligence of the within named insured or of any employee of such insured while the vehicle insured is let on hire. Provided that any such hirer shall as though he/she were the insured observe fulfill and be subject to the terms, exceptions, conditions and limitations of this policy in so far as they apply.

IMT.43. THEFT AND CONVERSION RISK

Notwithstanding anything to the contrary contained herein it is hereby understood and agreed in this Policy in consideration of the payment of additional premium @ 1.50% on IDV. Clauses ii (b) (1) of Endorsement IMT - 35 is hereby deemed to be deleted.

It is further understood and agreed that the indemnity in respect of Theft and/or Conversion by the hirer is applicable only in case of Theft and/or Conversion of the entire vehicle.

It is further understood and agreed that No Claim Bonus will not be applicable to the additional premium charged hereunder.

IMT.44. INDEMNITY TO HIRER - PACKAGE POLICY - NEGLIGENCE OF THE OWNER OR HIRER

It is hereby declared and agreed that in consideration of payment of an additional premium of Rs. the insurer will indemnify any hirer of the vehicle insured against loss, damage and liability as defined in this Policy arising in connection with the vehicle insured while let on hire.

Provided that any such hirer shall as though he/she were the insured observe fulfill and be subject to the terms, exceptions, conditions and limitations of this policy in so far as they apply.

IMT.45. INDEMNITY TO HIRER - LIABILITY ONLY POLICY - NEGLIGENCE OF THE OWNER OR HIRER

Negligence of the Hirer

It is hereby declared and agreed that in consideration of payment of an additional premium of Rs. the insurer will indemnify any hirer of the Motor Vehicle against liability as defined in this Policy arising in connection with the Motor Vehicle while let on hire.

Provided that any such hirer shall as though he were the insured observe fulfill and be subject to the terms, exceptions, conditions and limitations of this policy in so far as they apply.

For Legal interpretation English Version will hold good.

बीमा लोकपाल का कार्यालय / Insurance Ombudsman Office

ऑफिस ऑफ दि गवर्निंग बॉडी ऑफ इश्योरेंस कौंसिल / Office of the Governing Body of Insurance Council

3 री मंजिल, 'जीवन सेवा' एनेक्स, एम.टी.एन.एल. के ऊपर, एस. वी. रोड, सांताक्रुझ (प.), मुंबई - 400 054.

3rd Floor, 'Jeevan Seva' Annexe, Above MTNL, S. V. Road, Santacruz (W), Mumbai - 400 054.

दूरभाष / Tel.: (022) 26106552, 26106960 / फैक्स / Fax: (022) 26106052 / ई-मेल / E-mail: ombudsmanmumbai@gmail.com